(2)

आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

29/5/19

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल दण्डाधिकारी,राजमहल।

कि0मि0नं0 179/19

प्रथम पक्ष– कार्तिक प्रसाद गुप्ता

बनाम

द्वितीय पक्ष– विमला बेवा वगै0

द0 प्र0 स0 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदिका द्वारा दिनांक 29.04.2019 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदक के घर के सामने नाला को मिट्टी से भरकर नाला को अवरूद्ध कर दिया है, जिससे नाला जाम होने से पानी उपर से बहने के कारण काफी बदबू फैल गई है। जिससे आवेदक सहित आस–पास के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिससे पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे मैं संतुष्ट हूँ कि पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। अतएव दं0प्र0सं0 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदक के घर के सामने नाला है, जिसे विपक्षीगण ने मिट्टी डालकर नाला को अवरूद्ध कर दिया है, जिसके कारण नाला जाम होने से पानी उपर से होकर आवेदक के घर के सामने से होकर बहता है, जिससे काफी बदबू फैल गई है, जिससे आवेदक सहित आस–पास के लोगो का रहना मुश्किल हो गया है। दिनांक 07.04.2019 को आवेदक एवं अन्य लोगो के द्वारा विपक्षीगण को नाली से मिट्टी हटाने को लेकर बोला गया तो विपक्षीगण घमकी देने लगे और धक्का–मुक्की तथा गाली–गलौज करने लगे। विपक्षीगण के इस व्यवहार से आस–पास के लोग काफी परेशान है। अतएव आवेदक द्वारा नाला से मिट्टी हटाने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल करणपृच्छा में कहा गया है कि विपक्षी विमला देवी एक मसोमात महिला है, जिसे तीन लडका है, जिसमें दो गुंगा एवं एक बहरा है। आवेदक और विपक्षी एक ही परिवार से आते है अर्थात वे गोतिया हैं। दोनों पक्षों का घर अगल–बगल है। आवेदक द्वारा जमीन मापी कराने पर पाया गया कि विपक्षियों का 04 धूर जमीन कम है। विपक्षियों द्वारा किसी भी तरह का सामान्य न्यूसेंस नहीं किया गया है। आवेदक ही घर का गंदा पानी विपक्षियों के दरवाजा में बहाता है तथा विपक्षीगण कभी भी पानी के बहाव को नहीं रोका है। आवेदक का अपना कोई नाला नहीं है, आवेदक को अपना घर का पानी नाला बनाकर निकालना अनिवार्य है। चूंकि आवेदक अपने घर का पानी बिना नाला के निकालता है, जो सड़क पर गिरता है। विपक्षीगण अपने घर का पानी सडक पर नहीं गिराता है। अतः आवेदक को अपने घर का पानी नाला से निकालने का निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 408/रा0, दिनांक 24.05.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि मौजा जोतजगत जमाबंदी सं0 68 दाग नं0– 161 रकवा 01 कट्ठा 04 धूर जमीन किस्म वास्तु खतियानी रैयत बनमाली घोष के नाम से राजस्व खतियान में दर्ज है। उक्त मौजा की जमीन जमाबंदी रैयत जमुना प्रसाद भगत, पिता– जानकी प्रसाद भगत आवेदक के पिता एवं विपक्षी विमला बेवा के ससुर के नाम से पंजी II में दर्ज है। जाँच के क्रम में पाया गया कि आवेदक कार्तिक प्रसाद भगत एवं विपक्षी विमला बेवा वगै0 का मकान एक ही दाग नं0– पर बना हुआ है। इन दोनों के घर से सटा पी0सी0सी0 सडक है, जिसपर आवेदक कार्तिक प्रसाद गुप्त के घर से चापानल का पानी बहकर विमला बेवा के घर तक आता है। उक्त पी0सी0सी0 रास्ता पर बहता हुआ पानी को विपक्षीगण के द्वारा ईंट एवं डस्ट डालकर पानी के बहाव को अवरूद्ध कर दिया गया है, जो सरकारी नाला में पानी बहकर गिरता था। पानी जाम होने के कारण काफी बदबू फैल रहा है, जिससे आस–पास के लोगों को काफी

Scanned with CamScanner

मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा विपक्षीगण को उक्त अवरूद्ध किये गये पी0सी0सी0 सड़क से मिट्टी, ईंट एवं डस्ट हटाने का निदेश दिया गया है।

दोनों पक्षों के बहस को सुनने से यह स्पष्ट है कि आवेदक जिस नाले की बात कर रहे हैं उसका स्त्रोत वे स्वयं हैं। विपक्षी ने केवल अपने घर को दुषित पानी से रक्षा हेतु अनुरोध किया है।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत विवाद के हल हेतु धारा 133 के तहत् प्रारम्भ किये गये वाद को सम्पुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner